

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स किसान भवन जेल रोड भोपाल


क्रमांक/मंडी कार्मिक/बी-1/नियमी./19-20/621 भोपाल, दिनांक 11/12/2019
प्रति,

संयुक्त/उप संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय(समस्त)

विषय:—नवीन सेटअप अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति सेवा के विभिन्न संवर्गों के लिये
स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी भेजने बाबत।


म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा ज्ञाप क्रमांक
एफ-1-10/2019/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 26 अगस्त 2019 से मध्यप्रदेश लोक सेवा
(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन
अधिनियम, 2019 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 14 अगस्त, 2019 एवं
मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के
लिए आरक्षण) नियम 1988 की अनुसूची-एक एवं दो में संशोधन किया गया है।

अतः संशोधित रोस्टर के आधार पर म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं कृषि उपज
मण्डी समितियों के अन्तर्गत कार्यरत स्थायी कर्मियों के नियमित नियुक्ति पर विचार करने
हेतु जिले के लिये लागू नवीन मॉडल रोस्टर के अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति सेवा के
विभिन्न संवर्गों हेतु स्वीकृत पदों की वर्गवार गणना कर स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की
जानकारी 25/12/2019 तक मुख्यालय को उपलब्ध करायें।


अपर संचालक (कार्मिक)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

क्रमांक/मंडी कार्मिक/बी-1/नियमी./19-20/622 भोपाल दिनांक 11/12/2019
प्रतिलिपि:—

सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अपर संचालक (कार्मिक)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.